रजिस्ट्री सं. डी.एल.-33004/94 REGD. NO. D.L.-33004/94

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 179] नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 26, 1994/वैशाख 6, 1916
No. 179] NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 26, 1994/VAISAKHA 6, 1916

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 अप्रैल, 1994

सा.का.नि. 413(अ).—केन्द्रीय सरकार, स्वापक औषध एवं सत: प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1988 (1988 का 46) में अवैध व्यापार निवारण की धारा 9 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग की दिनांक 3 जुलाई, 1992 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 660(अ) में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में, क्रम सं. 3 तथा उससे सम्बद्ध प्रविष्टियों के लिए निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् :—

"3. माननीय न्यायमूर्ति श्री पी. के. बाहरी,
न्यायाधीश, दिल्ली उच्च न्यायालय।"

[फा. सं. 820/25/92-पी.आई.टी.डी.पी.एस.]
प्रकाश चन्द्र, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th April, 1994

G.S.R. 415(E).—In exercise of the powers conferred by clause (e) of Section 9 of the Prevention of Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1988 (46 of 1988), the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. GSR 660(E), dated 3rd July, 1992, namely :—

In the said notification, for serial number 3 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely :—

"3. Hon'ble Mr. Justice P. K. Bahri, Judge of Delhi High Court.".

[F. No. 820/25/92-PITNDPS]
PARKASH CHANDRA, Under Secy.

IndiaCode

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road Maya Puri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1994